कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल रायपुर

विज्ञापन

क्रमांक 2472/स्थापना/च.श्रे.भ./2018 रायपुर दिनांक 12/09/2018

मुख्यालय जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर के ज्ञापन क्र0 4810/स्थापना/जे.मु./2018/रायपुर दिनांक 06.06.2018 के अनुक्रम में केन्द्रीय जेल रायपुर एवं सर्किल की जिला जेल धमतरी/महासमुंद/उप जेल बलौदाबाजार/गरियाबंद में स्वीपर (चतुर्थ श्रेणी) के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की (स्वयं सत्यापित) छायाप्रति के साथ **अधीक्षक, केन्द्रीय जेल रायपुर (छ0ग0) पिन कोड–492001** के पते पर रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं। साधारण डाक या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र स्वीकार करने की **अंतिम तिथि 30.09.2018 को शाम 5:00 बजे तक** होगी। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक में होने वाले किसी भी प्रकार के विलंब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

रिक्त पदों का विवरण

पद का नाम	रिक्त पदों की कुल संख्या	आरक्षित पद						अनारक्षित पद	
		अनु.जाति		अ.ज.जा.		अ.पि.वर्ग			
		पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.	पु.	म.
स्वीपर	05	–	–	01	–	–	–	03	01

वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता :–

पद नाम	वेतनमान	शैक्षणिक योग्यता
स्वीपर	वेतन पुनरीक्षण नियम–2017 के अन्तर्गत लेबल–01 (वेतनमान 15600–49400)	मान्यता प्राप्त संस्था से कक्षा पांचवीं (प्राथमिक शाला प्रमाण पत्र परीक्षा) उत्तीर्ण

आयु सीमा :–

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 की स्थिति में 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो।

(अ) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 3–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 15.06.2010 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष तथा छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए 35 वर्ष निर्धारित की गई है।

(ब) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र0 3–2/2015/1–3 नया रायपुर दिनांक 23.01.2017 में जारी किए गए निर्देश के पैरा (3) के अनुसार छ0ग0 राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट होगी। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय छूट यथावत मिलती रहेगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नियम एवं शर्तें :–

(1) उपरोक्त भर्ती छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्र0 एफ 13–14/2009/आ.प्र./1–3 दिनांक 29 नवंबर 2012 के अनुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन नियम 2012 के तहत की जावेगी।

(2) रिक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है, जिसके लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा।

(3) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(4) आवेदित पद के लिए आवेदक की, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवेदन तिथि को पूर्ण होना चाहिए। अंक सूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(5) आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं करें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि वे विज्ञापित पद के लिए निर्धारित अर्हता/शर्तों को पूर्ण करते हैं। चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आवेदक के अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।

(6) आवेदक का विज्ञापन तिथि के पूर्व का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। आवेदन पत्र में रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करते हुए पंजीयन कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

(7) आरक्षित वर्ग के अभ्यार्थियों को आवेदन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(8) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेंगे। ऐसे आवेदन पत्र के संबंध में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।

(9) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 के नियम 4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(10) यदि किसी भी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद अग्रेणित (Carry forward) नहीं किए जाएंगे, वरन उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे जिस प्रवर्ग के लिए आरक्षित हैं।

(11) चयन के उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

(12) यदि आवेदक पूर्व से किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत है तो आवेदन के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(13) यदि अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(14) उन अभ्यार्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हों या कर्मचारी रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु–सीमा शिथिलनीय होगी।

अर्थात

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये।

(दो) ऐसा अभ्यार्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्य भारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यभारित कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया हो, अपनी आयु में से पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि 01 से अधिक बार की गई हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा,

किन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु–सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो।

(15) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पत्ति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु–सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(16) उन अभ्यार्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(17) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों को चयन की दशा में उच्च स्तरीय छानबीन समिति कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अस्थाई जाति प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

(18) कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के पात्र नहीं होगा।

(19) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमे से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

''परन्तु कोई भी उम्मीदवार, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा''।

(20) आवेदन पत्र पर उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्ट साईज का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित रंगीन फोटो लगाना होगा।

(21) अभ्यर्थी की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास समिर्ति द्वारा अभ्यर्थी को चयन करने के लिये अनर्हकारी ठहरा देगा।

(22) आवेदन–पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का उल्लेख अवश्य किया जावे।

(23) भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिए जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

चयन प्रक्रिया :–

1. राज्य के शासकीय विभागों में दैनिक वेतन भोगी अथवा संविदा में स्वीपर पद पर वर्तमान में कार्यरत अथवा पूर्व में कार्य कर चुके अभ्यार्थियों को विज्ञापित पद पर चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी।
2. अनुक्रमांक 01 के अभ्यार्थियों को स्वीपर के कार्य–अनुभव संबंधी सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. उपरोक्त विज्ञापित पद के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता (5वीं परीक्षा) में उम्मीदवार द्वारा प्राप्तांक के आधार पर मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन किया जावेगा।
4. निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र के अतिरिक्त उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कोई अतिरिक्त अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।
5. समान अंक प्राप्त करने वाले एक से अधिक उम्मीदवारों को उनके जन्म तिथि के आधार पर जिनका जन्म पहले हो, उन्हें मेरिट क्रम में ऊपर रखा जावेगा।
6. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल रायपुर
(छ0ग0)

आवेदन पत्र का प्रारूप

स्वीपर (चतुर्थ श्रेणी) के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

प्रति

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल रायपुर
(छ0ग0)

1. आवेदित पद का नाम : ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : ....
3. पिता/पति का नाम : ....
4. लिंग (महिला/पुरूष) : ....
5. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता : ....
6. स्थायी पता : ....
7. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हां / नहीं
8. अ – जन्म तिथि (अंको में) : दिनांक ....माह ....वर्ष ....
   (शब्दों में) : ....
   ब – दिनांक 01.01.2018 को आयु : वर्ष ....माह .... दिन ....
9. शैक्षणिक योग्यता

क्र0	परीक्षा	बोर्ड का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	

(अंकसूची एवं प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

10. वर्ग :– (अजजा/अजा/अपिव/सामान्य) : ....
    (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें) : ....
11. (अ) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन : पंजीयन क्रमांक ....दिनांक ....
    (ब) रोजगार कार्यालय का नाम : ....
12. क्या आप विवाहित हैं ?
    यदि विवाहित हैं तो विवाह की तिथि : ....
13. जीवित बच्चों की संख्या/जानकारी : ....
    (बच्चों का नाम/लिंग एवं जन्म तिथि सहित)
14. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं/थे ? : ....
    (यदि हो तो कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति/अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
15. क्या अभ्यार्थियों के विरूद्ध दाण्डिक प्रकरण : ....
    किसी पुलिस थाना/न्यायालय में लंबित है : ....
    अथवा किसी न्यायालय से पूर्व में निराकृत : ....
    हो चुका है ? (यदि हां तो संबंधित : ....
    अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक : ....
    एवं निर्णय आदि की जानकारी का : ....
    स्पष्ट रूप से उल्लेख करें)। : ....

संलग्न सहपत्रों की सूची : –

1. ....2. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त विवरण एवं संलग्न समस्त अभिलेख पूर्णतः सही है। कोई जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा एवं चयन के उपरांत भी मेरी नियुक्ति बिना नोटिस के समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
(नाम एवं पूरा पता)